

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.29(1)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 14 FEB 2024

**::आज्ञा::**

श्री भवानी प्रकाश, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर अग्रिम आदेशों तक इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.04.2023 द्वारा कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर में लगाया गया।

उक्त कार्यव्यवस्था हेतु जारी आदेश दिनांक 19.04.2023 को निरस्त कर श्री भवानी प्रकाश, कनिष्ठ सहायक को अपनी उपस्थिति कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर में तुरन्त प्रभाव से दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

  
(अंशुताप कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर।
4. श्री भवानी प्रकाश, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव